राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2700459, E-mail: civil.rcse@gmail.com

क्रमांकः– RCSE / Civil /F - / D- 1408 दिनांकः 20/6/2016

जिला कलेक्टर, (समस्त)
जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) (समस्त),
जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय (समस्त),

विषयः– मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

बजट वर्ष 2016–17 की घोषणा संख्या 160 के क्रम में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 4(14)शिक्षा–1/2015 दिनांक 11.05.2016 में **"मुख्यमंत्री जन–सहभागिता विद्यालय विकास योजना"** के वित्त (व्यय–1) विभाग की आई डी संख्या 101601292 दिनांक 03.05.2016, के क्रम में विद्यालय एवं जिला स्तर पर क्रियान्वयन बाबत् जारी दिशा–निर्देश सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रस्तावना

1.1 माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा संख्या 160 में माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु जन सहयोग को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 से निम्नानुसार मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना लागू की गई है।

2. योजना के उद्देश्य

2.1 माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में जनसहयोग के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास।

2.2 माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों के प्रबंधन एवं विकास में जनभागीदारी को प्रोत्साहन।

2.3 माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों को जनसहयोग के माध्यम से Centre of Excellence के रूप में विकसित करना।

3. योजना की विशेषताएं

3.1 यह राज्य वित्त पोषित योजना होगी।

3.2 जन सहयोग से 40 प्रतिशत राशि प्राप्त होने पर 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। जन सहायोग राशि में 'विद्यार्थी कोष' की राशि शामिल नहीं होगी।

3.3 योजना का क्षेत्र ग्रामीण एवं शहारी क्षेत्र के सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय होंगे।

4. योजना में अनुमत कार्य

4.1 इस योजना के तहत शामिल की जाने वाली गतिविधियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

5. कार्य स्वीकृति में वरीयता

5.1 प्रथम वरीयता पंजीकरण प्रपत्र के अनुसार 'पहले आओं पहले पाओ' रहेगा।

5.2 समन्वित विद्यालयों को वरीयता दी जायेगी।

5.3 जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी है, परन्तु अन्य विद्यालय समन्वित होने तथा नामांकन में बढ़ोतरी होने पर अतिरिक्त वर्ग (सेक्शन) संचालित होने है, ऐसे विद्यालयों को वरीयता दी जायेगी।

5.4 क्षतिग्रस्त भवन, कक्षा–कक्ष के स्थान पर नव निर्माण के प्रस्ताव को वरीयता दी जायेगी।

5.5 बिजली फिटिंग, चार दिवारी, खेल मैदान, वर्षा जल संग्रहण टैंक निर्माण एवं टॉयलेट शौचालय निर्माण को वरीयता दी जायेगी।

6. योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रपत्र

6.1 विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति द्वारा लिये गये निर्माण के प्रस्ताव को पंजीकरण वरीयता प्रपत्र में दर्ज किया जायेगा। (संलग्न प्रपत्र – 'अ')

6.2 कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु प्रपत्र (संलग्न प्रपत्र –'ब')।

6.3 कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रपत्र (संलग्न प्रपत्र –'स')।

7. पूर्णता प्रमाण–पत्र

7.1 निर्मित कार्यो के पूर्णता प्रमाण–पत्र कार्यकारी संस्था द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद से जारी दिशा–निर्देशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जारी किये जायेंगे।

8. अभिलेख/परिसम्पत्ति का ब्यौरा संधारणः–

8.1 राज़स्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद दिशा–निर्देशों के अनुरूप अभिलेख–परिसम्पत्तियों के व्यौरे का संधारण किया जावेगा।

संलग्न :– परिशिष्ट–क एवं प्रपत्र अ, ब, स

(जस्सा राम चौधरी)
अतिरिक्त परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

क्रमांकः– RCSE / Civil /F - / D- 1408 *दिनांकः* 20/6/2016

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शिक्षा सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, (समस्त)।
5. प्रभारी शाला दर्पण, पॉर्टल को सभी प्रधानाचार्यों को जानकारी हेतु उनके Login ID/E-mail पर भिजवाने हेतु।
6. एम.आई.एस. इन्चार्ज को विभागीय बेवसाईट www.rajshiksha.gov.in पर पृथक से icon create कर डलवाये जाने हेतु।
7. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
9. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

परिशिष्ट 'क'

I.	राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्षों का निर्माण कार्य मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूवलाईट सहित) एवं फर्नीचर कार्य
II.	प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूवलाईट सहित), फर्नीचर, फिक्सर्स एवं प्रयोगशाला उपकरण।
III.	प्राचार्य/प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण मय बरामदा विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूवलाईट सहित)
IV.	विद्यालय हेतु कार्यालय कक्ष का निर्माण कार्य मय बरामदा विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूवलाईट सहित)
V.	बालिका गतिविधि कक्ष मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूवलाईट सहित) एवं फर्नीचर कार्य
VI.	कम्प्यूटर कक्ष मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूवलाईट सहित), फर्नीचर कम्पयूटर एवं अन्य उपकरण।
VII.	कला, शिल्प एवं संस्कृति कक्ष का निर्माण कार्य मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूवलाईट सहित), फर्नीचर एवं उपकरण
VIII.	पुस्तकालय कक्ष का निर्माण मय बरामदा विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूवलाईट सहित), फर्नीचर एवं फिक्सर्स।
IX.	विद्यालयों में कक्षा –कक्षों बालिका गतिविधि कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, विज्ञान/कृषि प्रयोगशालाओं आदि हेतु फर्नीचर, फिक्सर्स, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर एवं अन्य उपकरण इत्यादि।
X.	शौचालय, पीने के पानी तथा पानी निकासी की व्यवस्था।
XI.	खेलकूद सुविधाओं का विकास मय खेल उपकरण।
XII.	विद्यालय तथा खेल मैदान की चार दिवारी का निर्माण।
XIII.	विद्यालयों के भवन की मरम्मत का कार्य।

प्रपत्र–'अ'

मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना
जिला .....

पंजीकरण वरीयता प्रपत्र

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य का नाम (स्कूल का नाम)	ग्राम	ग्राम पंचायत	विधानसभा क्षेत्र का नाम	अनुमानित लागत			रसीद नं. व दिनांक
					योजना मद	जन सहयोग	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

प्रपत्र– 'ब'

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
जिला .....

(राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)

क्रमांकः 2016–2017 / दिनांक :

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजनान्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र एवं वर्ष 2016–17 में आवंटित बजट के अनुसार विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति से प्राप्त प्रस्ताव एवं वरीयता के आधार पर एवं जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियांन (जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा) एवं जिला कलेक्टर (अध्यक्ष जिला निष्पादन समिति) से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यकारी विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति	ब्लॉक	स्वीकृत राशि लाखों में		
				योजना मद	जन सहयोग	योग
1						
2						
			योगः–			

नियम एवं शर्तेः–

1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशा–निर्देशों की पालना की जावें।

2 योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित जनसहयोग की वांछित पूर्ण राशि जमा हो जाने के पश्चात् एवं बजट की उपलब्धता अनुसार ही तकनीकि / वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

3 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियांन द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो के अनुसार कार्य सम्पादन किया जावे।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान,
जिला .....

क्रमांकः 2016–17 / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता जिला ..... को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृत कार्यनुसार तकनीकी स्वीकृति, तकमीना, चैक लिस्ट, कार्यस्थल का छायाचित्र, वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करे।

2 प्रधानाध्यापक एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति उक्त स्वीकृति अनुसार भूमि दस्तावेज, ट्रेस नक्शा, जमा जन सहयोग की छाया प्रति आदि वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

3 लेखा शाखा, कार्यालय हाजा ।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान,
जिला .....

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

जिला .....

(राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)

दिनांक :

कमांक: 2016–2017 /

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना में वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत जारी प्रशासनिक स्वीकृति के कम मे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रस्ताव एवं तकनीकी अधिकारियो द्वारा तकनीकी स्वीकृति, तकमीना मय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने आधार पर निम्नांकित कार्यो की एतद् द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यकारी संस्था	प्रशासनिक स्वीकृति				राशि				
			क्र. व दिनांक	योजना मद	जन सहयोग	योग	प्रथम किश्त की राशि 50%	RTGS CODE BANK NAME	BANK A/C NO.	BANK NAME & BRANCH	तकनिकी स्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
1		विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति									
2											
			योग :–								

नियम एवं शर्तें:–

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिशा–निर्देशों की पालना की जावे।
2. जन सहयोग से प्राप्त राशि का उपयोग प्रथम किश्त के साथ किया जावें।
3. शैड्यूल् ऑफ पॉवर की पूर्ण पालना की जावें।
4. प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्ते व योजना की मार्ग दर्शिका अनुरूप कार्य नियत समय पर पूर्ण करवाकर पूर्णता प्रमाण पत्र समायोजन पत्र समायोजन हेतु आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान,
जिला .....
दिनांक:

कमांक: 2016–2017 /

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रधानाध्यापक एवं अध्यक्ष विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय में जमा जन सहयोग की राशि कार्यकारी संस्था को हस्तान्तरण करावें।
2. सहायक अभियंता, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला .....
3. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख हे कि कॉलम संख्या 11 के अनुसार प्रथम किश्त की राशि सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को हस्तान्तरित करावे।
4. रक्षित पत्रावली।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान,
जिला .....

[illegible] विद्यालय फण्ड की राशि शामिल नहीं होगी।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017

राज्य स्तरीय सम्पर्क सूत्र दूरभाष: 0141–2700459, **E-mail: civil.rcse2016@gmail.com**

क्र. सं.	जिला	जिला स्तरीय सम्पर्क सूत्र			
		अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	फोन / मोबाईल नं.		ई–मेल
1	अजमेर	श्री रामनिवास गालव	0145-2620364	9413300539	adpcrmsaajmer@gmail.com
2	अलवर	श्री तिलक राज पंकज	0144-2704059	9057901506	adpcrmsaalwar@gmail.com
3	बांसवाड़ा	श्री जयदीप पुरोहित	02962-242567	9414645879	adpcrmsabanswara@gmail.com
4	बारां	श्री रामप्रसाद बैरवा	07453-230583	9460055681	adpcrmsabaran@gmail.com
5	बाडमेर	श्री धर्माराम चौधरी	02982-230671	9414384599	adpcrmsabarmer@gmail.com
6	भरतपुर	श्री लखन पाल सिंह	05644-220643	9414945170	adpcrmsabharatpur@gmail.com
7	भीलवाड़ा	श्री नारायण लाल जागिढियां	01482-253426	9414575985	adpcrmsabhilwara@gmail.com
8	बीकानेर	श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी	0151-2205788	9414324298	adpcrmsabikaner@gmail.com
9	बूंदी	श्री सतीश कुमार जौशी	0747-2442318	9460047986	adpcrmsabundi@gmail.com
10	चित्तौडगढ़	श्री सत्य नारायण शर्मा	01472-247059	9414374329	adpcrmsachittorgarh@gmail.com
11	चूरू	श्री गोविन्द राठोड़	01562-254405	9460258121	adpcrmsachuru@gmail.com
12	दौसा	श्री सुशील शर्मा	01427-224972	9414626884	adpcrmsadausa01@gmail.com
13	धोलपुर	श्री मुकेश गर्ग	05642-220061	9351806533	adpcrmsadholpur@gmail.com
14	डूंगरपुर	श्री हेमन्त पाण्ड्या	02964-234966	9571946448	adpcrmsadungarpur@gmail.com
15	हनुमानगढ़	श्री रणवीर सिंह शर्मा	01552-261716	9414629261	adpcrmsahg@gmail.com
16	जयपुर	श्री बहादुर सिंह	0141-2712993	9460871989	adpcrmsajaipur@gmail.com
17	जैसलमेर	श्री दलपत सिंह	02992-252195	9413774381	adpcrmsajaisalmer@gmail.com
18	जालौर	श्री प्रकाश चन्द्र चोधरी	02973-222375	9982006611	adpcrmsajalore@gmail.com
19	झालावाड	श्री पी.सी. सौनी	07432-232337	9414750093	adpcrmsajhalawar@gmail.com
20	झुंझुनू	श्रीमती विनोद जानू	01592-235235	9413110058	adpcrmsajhunjhunu@gmail.com
21	जोधपुर	श्रीमती सोनिया शर्मा	0291-2613140	9460453195	adpcrmsajodhpur@gmail.com
22	करौली	श्री राम खिलाडी मीणा	07464-250940	9414726218	adpcrmsakarauli@gmail.com
23	कोटा	डॉ. अनिरूद्ध शर्मा	0744-2390250	9414286682	adpcrmsakota@gmail.com
24	नागौर	श्रीमती वीना सोलंकी	01582-290108	9928215675	adpcrmsanagaur@gmail.com
25	पाली	श्री विनोद कुमार शर्मा	02932-250150	9414610367	adpcrmsapali@gmail.com
26	प्रतापगढ़	श्री सुनील भट्ट	01478-220051	9414396821	adpcrmsapratapgarh@gmail.com
27	राजसंमद	श्री रिजवान फारूक	02952-230065	9414343895	adpcrmsa-raj-rj@nic.in
28	सवाईमाधोपुर	श्री दिनेश कुमार गुप्ता	07462-224388	9414552680	adpcrmsasm@gmail.com
29	सीकर	श्री रामचन्द्र पिलानिया	01572-258011	9460168101	adpcrmsasikar@gmail.com
30	सिरोही	श्री अशोक व्यास	02972-221040	7742424991	adpcrmsasirohi@gmail.com
31	श्रीगंगानगर	श्री वकील सिंह	0154-2444018	9460787253	adpcrmsagn@gmail.com
32	टोंक	श्री रमेश सिंह	01432-243421	9413803130	adpcrmsatonk@gmail.com
33	उदयपुर	श्री मोहम्मद इकबाल	0294-2482044	9636095648	adpcrmsaudaipur@gmail.com